संख्या-6-2025-674-57-1099-135-2024

प्रेषक,

रघुवीर,
विशेष सचिव

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025**

विषय:- **जनपद अयोध्या में स्थित श्रीराम पथ के दोनों ओर अवशेष रिक्त भूमि के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-746/ध0का0वि0नि0/अयो0/2024-25, दिनांक 16.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में स्थित श्रीराम पथ के दोनों ओर अवशेष रिक्त भूमि के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य के सम्बन्ध में धनराशि रू0 665.22 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में स्थित श्रीराम पथ के दोनों ओर अवशेष रिक्त भूमि के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित लागत 665.22 लाख के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत 641.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 320.93 लाख (रूपये तीन करोड़ बीस लाख तिरानवे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करती हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 जुलाई, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/ कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की परीक्षण आख्या/शर्तें संलग्न है।

(9) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी/ कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्यमद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्यमद में किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है। कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्ताविकता के आधार पर किया जायेगा।

(12) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं०-5/2021/ फाइल नं0-65-2013/2/2019-2. दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021 दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) प्रायोजना के विस्तृत आगणन (डी०पी०आर) में दरें उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-272 कैम्प/मु०अभि० (भवन)/2023, दिनाक 10अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-294 कैम्प / मु०अभि० (भवन) / 2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अनुसार एवं एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-294 कैम्प / मु०अभि० (भवन) / 2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 / इंटीग्रेटेड एस०ओ०आर० 2024 के अनुसार एवं वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(15) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु बिड के माध्यम से निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्था का चयन किया जाय। चयनित संस्था द्वारा न्यनूतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(16) प्रायोजान्तर्गत श्रीराम पथ के दोनों ओर अवशेष रिक्त भूमि के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य एवं ढाँचागत सुविधाओं के विकास आदि के कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। इस समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित रॉयल बैंच बाट आउट श्रेणी के कार्यों की लागत बजटरी आफर / बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई है। प्रभाग का मत है कि इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(18) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(20) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(21) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,20,93,000 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख तिरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084, **लेखा शीर्षक-** 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-5-301-X-2024-25-दिनांक:21-3-2025** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रघुवीर)
विशेष सचिव।

संख्या-6-2025-674-57-1099-135-2024, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या/वाराणसी।
5- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
6- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रघुवीर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।